परिशिष्ट-(अ)
प्रश्नांश (ग) के संबंध में जानकारी

[5/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2695]

जनसम्पर्क MP
FACT
CHECK

108 एम्बुलेंस के संचालन हेतु कम्पनी को विगत 33 माह में किया गया 947 करोड़ रुपये का भुगतान संबंधी बिंदु के संदर्भ में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान में कुल 2061 एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं, जिनमें 167 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 835 बेसिक लाइफ सपोर्ट तथा 1059 जननी एक्सप्रेस वाहन सम्मिलित हैं।

अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवा संचालन हेतु सेवाप्रदाता को प्रति किलोमीटर रनिंग के आधार पर भुगतान किया जाता है। उक्त प्रति किलोमीटर भुगतान में सभी पूंजीगत एवं परिचालन व्यय जैसे कि मानव संसाधन, ईंधन, मरम्मत व रखरखाव, तथा एम्बुलेंस वाहन व उपकरणों की खरीद शामिल होती है।

पूर्व 108 सेवाप्रदाता एवं वर्तमान सेवाप्रदाता संस्था को भुगतान की गई राशि का प्रतिवर्ष व प्रतिमाह के आधार पर तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

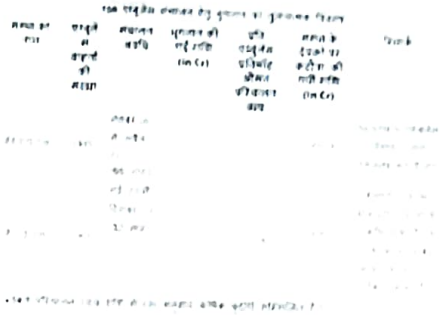

अनुबंध का पालन न करने पर हजारों लोगों ने गंवाई जान संबंधी बिंदु के संदर्भ में अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाप्रदाता द्वारा संचालित कुल वाहनों में से अधिकतम 10% एम्बुलेंस वाहन मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ऑफ-रोड रखे जा सकते हैं। तद्नुसार, एम्बुलेंस वाहन नियमित रखरखाव अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर ऑफ-रोड रखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि निर्धारित सीमा से अधिक वाहन ऑन-रोड पाए गए, तो संस्था द्वारा भेजे गए देयकों में शास्ति (पेनल्टी) अधिरोपित की गई है, जिसका विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

गुना जिले में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के संदर्भ में, जिले के CMHO द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित एम्बुलेंस वाहन में ऑक्सीजन उपलब्ध थी, अतः शिकायत निराधार पाई गई।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित विलंब से पहुंचने अथवा सेवा की गुणवत्ता संबंधी मामलों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित जिलों की एम्बुलेंस सेवाओं पर एक माह का परिचालन व्यय कटौती के रूप में सेवाप्रदाता संस्था JAES पर KPI के अतिरिक्त ₹65,36,048 की शास्ति विगत एक वर्ष में अधिरोपित की गई है।

- एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभागीय अनुशंसा पर अब तक सेवाप्रदाता संस्था द्वारा 09 जिला समन्वयकों एवं 356 एम्बुलेंस कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है।
- **स्वास्थ्य विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी छुपाई गई" संबंधी बिंदु के संदर्भ में** एम्बुलेंस वाहनों के पंजीकरण एवं कर संबंधी कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आती। तथापि, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र के अनुक्रम में समस्त एम्बुलेंस वाहनों की लोकेशन, पंजीयन क्रमांक, वाहन का प्रकार आदि का संपूर्ण डेटा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- साथ ही, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 562/TC/2025 दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ में एम्बुलेंस वाहनों के परिवहन कर की राशि जमा किए जाने हेतु सेवाप्रदाता संस्था JAES को कार्यालयीन पत्र क्रमांक NHM/IRTS/2025/1583, भोपाल दिनांक 02.04.2025 प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रेस वक्तव्य पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है।

डिजिटल मीडिया संस्थान MP Breaking को '108 एम्बुलेंस सेवा' के संबंध में जारी प्रेस वक्तव्य दिनांक 01.04.2025 के संदर्भ में वस्तुस्थिति

जनसम्पर्क MP
FACT
CHECK